रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1029/2026/2119/22-2-2025-17(607)/2017
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर (बन्दी संख्या-21196) पुत्र श्री सोनेलाल, नगला बॉध, थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या- 128/2002 में भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 302, 307, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 29.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन, बंदी द्वारा दिनांक दिनांक 11.11.2023 तक 22 वर्ष, 02 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 04 माह, 23 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, बंदी की आयु 66 वर्ष 10 माह 06 दिन होने एवं जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1029/2026/2119(1)/22-2-2025 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।